

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन  
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020  
क्रियान्वयन सत्र 2024-25

प्रायः पूछे गए प्रश्न, दिनांक 12.07.2024

प्रश्न: कला/विज्ञान/वाणिज्य के विद्यार्थी द्वारा DSC के रूप में चयनित तीन विषयों के अतिरिक्त उसी संकाय में अपलब्ध अन्य विषयों में से एक विषय जेनेरिक इलेक्टिव (GE) ले सकते हैं क्या? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर: नहीं ले सकते हैं। क्योंकि किसी संकाय में सम्मिलित विषयों की प्रकृति प्रायः समरूप होती है तथा मल्टीडिसिप्लिनरी अवधारणा के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानानुसार समग्र ज्ञान हेतु अन्य संकायों के विषयों का अध्ययन जेनेरिक इलेक्टिव (GE) कोर्स के रूप में किया जाना है।

विद्यार्थी जिस संकाय में उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रवेश लिया है, उसमें स्वेच्छा से अधिकतम तीन विषयों का चयन कर लिया है, अतः मल्टीडिसिप्लिनरी अवधारणा के अनुरूप अतिरिक्त ज्ञानार्जन हेतु उन्हें अन्य संकायों से इच्छाकृत विषयों का चयन जेनेरिक इलेक्टिव (GE) कोर्स के रूप में करना है, जिसका लाभ/उपादेयता भविष्य/प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राप्त होगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व के शिक्षा नीति अनुसार संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत किसी संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थी को अन्य संकायों के विषयों का अध्ययन कर पाने का प्रावधान नहीं था, परिणामतः स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान प्रावधान में जेनेरिक इलेक्टिव (GE) कोर्स के अध्ययन से साईंस के विद्यार्थी को सोसल साईंस का तथा कला/वाणिज्य के विद्यार्थी को जेनेरल साईंस एवं कम्प्यूटर यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स का समूह (Pool of GE) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न: यदि महाविद्यालय में एक ही संकाय संचालित है, तो विद्यार्थी द्वारा GE के रूप में अन्य संकाय का विषय कैसे लिया जा सकता है?

उत्तर: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एकल संकायी महाविद्यालयों को चिन्हांकित कर विश्वविद्यालय से विमर्श किया जा रहा है, समुचित समाधान सहित प्रक्रिया यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

प्रश्न: विद्यार्थी को GE के रूप में अन्य संकाय का विषय, विशेषकर कला संकाय के विद्यार्थी के लिये विज्ञान संकाय का विषय कठिन होंगे, इसका क्या उपाय है?

उत्तर: विषय चयन करने से पहले जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स समूह (Pool of GE) में उपलब्ध सभी विषयों के कोर्स करिकुलम से विद्यार्थियों को भलिभौति अवगत होना चाहिए। समस्त विषयों के GE-01 कोर्स तथा DSC-01 कोर्स एक समान है, जिसमें उक्त विषय के आधारीय स्तर (Basic level) / परिचयात्मक (Introductory) विषय-वस्तु एवं विषय सम्बन्धित भारतीय ज्ञान परम्परा युक्त तथ्यों को समाहित किया गया है, जो विद्यार्थी के लिये कठिन नहीं अपितु रोचक होना संभावित है। साथ ही विद्यार्थियों को अपने रुचि, क्षमता एवं Future prospect के विचार से इच्छाकृत जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स का चयन करना है। स्वेच्छा से चयनित विषय के अध्ययन में कठिनाई नहीं होंगी। इसके बावजूद भी विद्यार्थी को यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान सम्बन्धित महाविद्यालय के विषय- शिक्षको द्वारा, विशेषकर सतत् आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से, द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, विद्यार्थियों को यदि कोई भी समस्या हो तो उक्त प्रकोष्ठ के संयोजक/सदस्यों से सम्पर्क करेंगे।

प्रश्न: वैल्यू एडिशन कोर्स (VAC) में प्रायोगिक कक्षाएँ भी होगी क्या?

उत्तर: नहीं, वैल्यू एडिशन कोर्स (VAC) में प्रायोगिक कक्षा या प्रायोगिक परीक्षा नहीं होंगी, यद्यपि विषय-वस्तु विशेष के परिप्रेक्ष्य में एसाइन्मेंट कार्य के तहत आवश्यकतानुरूप प्रयोगशाला/उपकरण अवलोकन अथवा फिल्ड विजिट कराया जाना उचित होगा।

प्रश्न: स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स (SEC) में प्रायोगिक कार्य होगा क्या?

उत्तर: हाँ, कोर्स के अनुरूप कौशल आधारित प्रायोगिक कार्य/क्षेत्रीय कार्य/परफॉर्मेंस कार्य अवश्य होंगे। उल्लेखित है कि 01 क्रेडिट के इस कोर्स की संरचना में ही 01 क्रेडिट सैद्धतिक एवं 01 क्रेडिट प्रायोगिक कार्य/क्षेत्रीय कार्य/परफॉर्मेंस कार्य सम्बन्धित विषय-वस्तु सम्मिलित किया गया है।

विदित है कि स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स (SEC) का अध्यापन द्वितीय सेमेस्टर में होना है। प्रथम सेमेस्टर में वैल्यू एडिशन कोर्स (VAC) का अध्यापन किया जाना है। वैल्यू एडिशन कोर्स का समूह (Pool of VAC) प्रेषित किय जा चुका है। पाठक्रम संरचना के अनुसार वैल्यू एडिशन कोर्स (VAC) का अध्यापन प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सेमेस्टर में किया जाना है, जहाँ कोई विद्यार्थी, प्रदत्त कोर्स का समूह (Pool of VAC) में से कोई कोर्स निर्धारित किसी सेमेस्टर में इच्छानुकूल ले सकते हैं, परन्तु किसी एक कोर्स को दो बार नहीं ले सकते हैं।

प्रश्न: वैल्यू एडिशन कोर्स (VAC) एवं स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स (SEC) का अध्यापन अथवा SEC का प्रायोगिक कार्य कौन कराएंगे?

उत्तर: वर्तमान में प्रेषित वैल्यू एडिशन कोर्स का समूह (Pool of VAC) में सम्मिलित समस्त कोर्सेस महाविद्यालयों में संचालित विषयों से ही सम्बन्धित एवं सामान्य अध्ययन जैसा है, जिसका समुचित अध्यापन संस्था में उपलब्ध शिक्षकों के द्वारा ही किया जायेगा तथा द्वितीय सेमेस्टर में SEC का प्रायोगिक कार्य भी कराया जायेगा।

प्रश्न: क्या स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स (SEC) में छत्तीसगढ़ के कौशल को भी शामिल किया गया है?

उत्तर: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र से लागू करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समस्त प्रावधानों को तीन चरणों में पूर्ण समावेशित करने का संकल्प लिया गया है।

वर्तमान सत्र के द्वितीय सेमेस्टर हेतु महाविद्यालयों में संचालित विषयों एवं तत्सम्बन्धित तकनीकीयों पर आधारित कौशल पाठ्यचर्या को ही स्किल एन्हांशमेन्ट कोर्स का समूह (Pool of SEC) में सम्मिलित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कौशल का आंशिक समावेश है। आगामी चरण/सत्र में छत्तीसगढ़ के कौशल को पूर्णतः शामिल किये जाने की योजना है।

प्रश्न: भारतीय ज्ञान प्रणाली को किस रूप में करिकुलम फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है?

उत्तर: प्रायः समस्त विषयों के 100 लेवल के कोर्स (Fundamental course for I & II Semester) में आंशिक रूप से भारतीय परम्परागत ज्ञान एवं संस्कृति को समाहित करने का प्रयास किया गया है। आगामी चरण/सत्र में पूर्णतः शामिल करने तथा तत्सम्बन्धित कोर्स सम्मिलित किये जाने की योजना है।

प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरिकल्चर एवं टसर टेक्नॉलॉजी विषयों को विषय समूह में नहीं रखा गया है तथा करिकुलम अप्राप्त है, इसका क्या प्रावधान है?

उत्तर: वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स विषय का सेटअप नहीं है, सेरिकल्चर एवं टसर टेक्नॉलॉजी विषयों में पदस्थापना नहीं है। यथाशीघ्र सेटअप एवं पदस्थापना की व्यवस्था करते हुए आगामी चरण/सत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरिकल्चर एवं टसर टेक्नॉलॉजी विषय शामिल किया जायेगा। इस सत्र के लिये उसके स्वीकृत सीट संख्या, मूल संकाय हेतु स्वीकृत सीट संख्या में सम्मिलित कर प्रवेश दिये जाने हेतु प्रावधान किया जा रहा है।

प्रश्न: संस्कृत प्राच्य/शास्त्री का करिकुलम अप्राप्त है, इसका क्या प्रावधान है?

उत्तर: वर्तमान सत्र से बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी., बी.सी.ए., बी.एस-सी. गृह विज्ञान एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। आगामी चरण/सत्र से संस्कृत प्राच्य, संस्कृत शास्त्री, बी.पी.ई आदि पाठ्यक्रम शामिल किये जाने की योजना है।

प्रश्न: क्या प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के क्रमशः सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा के आधार पर कोई रोजगार प्राप्त हो पायेगा?

उत्तर: वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा के आधार पर सीधे कोई रोजगार प्राप्त होने का प्रावधान नहीं है, यद्यपि रोजगार में सहायक सिद्ध हो सकता है स्वरोजगार को बढावा मिलेगा। छत्तीसगढ प्रदेश के साथ ही भारत के अनेक राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किये गए है, जहाँ आगामी वर्षों में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा धारक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा निःसंदेह प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न: किसी महाविद्यालय मे जो विषय नहीं है उसे विद्यार्थी पढना चाहे तो क्या प्रावधान है?

उत्तर: यद्यपि वर्तमान मे कोई प्रावधान नहीं है, तथापि आगामी चरण/सत्र में उक्त प्रवधान को लागू करने की योजना है।

=====

# उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

- प्रश्न 1. प्रदेश में सत्र 2024–25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन पाठ्यक्रमों में लागू किया गया है?
- उत्तर – प्रदेश में सत्र 2024–25 से समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम., बी.एस–सी., बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं।
- प्रश्न 2. सेमेस्टर से तात्पर्य क्या है?
- उत्तर – सेमेस्टर का तात्पर्य प्रति 06 माह की अध्ययन–अध्यापन की अवधि है। किसी पाठ्यक्रम संदर्भित निर्धारित पाठ्यचर्या का शैक्षणिक कार्य (टीचिंग लर्निंग) एवं उसके मूल्यांकन कार्य सम्पादन हेतु छः/06 माह की अवधि का निर्धारण किया जाना सेमेस्टर कहलाता है, जहाँ एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह/90 दिवस शैक्षणिक कार्य (टीचिंग लर्निंग) किया जाना सुनिश्चित होता है।
- प्रश्न 3 क्रेडिट से क्या तात्पर्य है।
- उत्तर – सैद्धांतिक कोर्स हेतु एक लेक्चर/पीरियड/कालखण्ड/घण्टा का अध्यापन प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात् सेमेस्टर के अंतर्गत कुल 15 घण्टे/कालखण्ड का किया गया टीचिंग लर्निंग कार्य एक क्रेडिट होगा। यद्यपि प्रायोगिक कोर्स/फिल्ड कार्य/प्रोजेक्ट कार्य हेतु 02 कालखण्ड/पीरियड/घण्टा का अध्यापन/प्रशिक्षण प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात् सेमेस्टर अंतर्गत कुल 30 घण्टे/कालखण्ड का किया गया प्रायोगशाला/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क का कार्य एक क्रेडिट होगा।
- प्रश्न 4. CBCS से क्या तात्पर्य है?
- उत्तर – CBCS का पूर्ण रूप है:– चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (Choice Based Credit System) है जिसके अंतर्गत एक संकाय का विद्यार्थी दूसरे संकाय का विषय जो क्रेडिट पद्धति पर आधारित है को अध्ययन हेतु चयन कर सकता है
- प्रश्न 5. बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास (Multiple Entry & Multiple Exit) का क्या अर्थ है?
- उत्तर – बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है जिसमें विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार प्रवेश एवं निकास कर सकता है परन्तु उसे उक्त स्नातक के पाठ्यक्रम को अधिकतम 07 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। 07 वर्ष में पूर्ण न करने की स्थिति में वह पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएगा। अर्थात् किसी विद्यार्थी द्वारा बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास का लाभ अधिकतम 07 वर्ष के अन्तर्गत ही लिया जा सकता है।

प्रश्न 6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत DSC, DSE, GE, AEC, SEC, VAC का क्या तात्पर्य है?

उत्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहु-संकायी एवं बहु विषयी पाठ्यक्रम पद्धति अंतर्गत उपयोग में किये जा रहे उक्त शब्दों की व्याख्या निम्नानुसार है—

**DSC- Discipline Specific Course** (विषय विशिष्ट पाठ्यचर्या) – किसी विषय /डिसीप्लीन को परिभाषित करने वाला मूल पाठ्यचर्या को ही DSC कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अर्न्तगत पूर्व की भाँति विद्यार्थियों द्वारा चयनित तीन विषय /डिसीप्लीन के DSC का अध्ययन प्रति सेमेस्टर किया जाना है।

**DSE - Discipline Specific Elective** (विषय विशिष्ट ऐच्छिक) – किसी विषय/डिसीप्लीन के संबंधित विशेष विषय शाखा की पाठ्यचर्या को DSE कहा जाता है। इसके अंतर्गत इन्टर डिसीप्लीनरी पाठ्यचर्या भी सम्मिलित किये जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा चयनित इच्छाकृत विषय/डिसीप्लीन के DSE का अध्ययन तृतीय सेमेस्टर से किया जा सकेगा।

**GE - Generic Elective** (सामान्य ऐच्छिक ) – मूल संकाय के अतिरिक्त किसी संकाय के विषय /डिसीप्लीन के कोर्स को ही GE कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अर्न्तगत विद्यार्थियों द्वारा अन्य संकाय के किसी डिसीप्लीन के कोर्स का चयन GE के रूप में किया जायेगा। अर्थात् कला संकाय के विद्यार्थी विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी कला एवं वाणिज्य संकाय के तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कला एवं विज्ञान संकाय के कोर्स GE के रूप में चयन कर सकते हैं। यद्यपि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा GE का चयन किया जाना अनिवार्य है, तथापि तृतीय सेमेस्टर से GE का चयन करना अथवा नहीं करना उनकी इच्छा पर आधारित होगा।

**AEC- Ability Enhancement Course** (योग्यता अभिवृद्धि पाठ्यचर्या) – सामान्य योग्यता में यथेष्ट वृद्धि कर उपयुक्त स्नातक की योग्यता प्रदर्शित करने वाला कोर्स को AEC कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः विभिन्न भाषा एवं पर्यावरण के ज्ञान सम्बन्धित पाठ्यचर्या सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक 2-2 क्रेडिट के AEC का अध्ययन किया जायेगा जिसमें पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य संप्रेषणीय भाषा सम्मिलित हैं।

**SEC- Skill Enhancement Course** (कौशल अभिवृद्धि पाठ्यचर्या) – उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाला कोर्स को SEC कहा जाता है। प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित कौशल अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर में अध्यायन किया जावेगा।

**VAC- Value Added/Addition Course** (मूल्य वर्धित पाठ्यचर्या ) – उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाला कोर्स को VAC कहा जाता है। प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित मूल्य अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में अध्यायन किया जावेगा।

प्रश्न 7. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो गया है?

उत्तर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 एवं 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम दोनों का प्रावधान है, जो पूर्णतः विद्यार्थी के इच्छा पर आधारित होगा। यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 03 वर्ष की निर्धारित कोर्स अध्ययन करने के पश्चात निर्धारित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर पाठ्यक्रम छोड़ सकता है। 04 वर्ष पूर्ण करने की कोई बाध्यता नहीं है। यदि विद्यार्थी आगे अध्ययन चाहता है तो वह चौथे वर्ष (7वें एवं 8वें सेमेस्टर) हेतु निर्धारित कोर्स का अध्ययन, आनर्स अथवा आनर्स विथ रिसर्च की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा। {तीन वर्ष के पश्चात विद्यार्थी को प्राप्त अंक का प्रतिशत यदि यदि 75 या उससे अधिक हो तो वह चौथे वर्ष में आनर्स विथ रिसर्च या आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा। यदि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत 75 से कम है तो वह केवल आनर्स पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले पाएगा।}

प्रश्न 8. क्या विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर : उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम ही संचालित हैं, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं। परन्तु यदि कोई विद्यार्थी 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तथा परिस्थितिवश किसी कारण (आर्थिक/पारिवारिक या अन्य किसी कारण) से पाठ्यक्रम को एक वर्ष (02 सेमेस्टर) के पश्चात छोड़ना चाहता है तो उस स्थिति में उसे दोनों सेमेस्टर के कुल 40 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 04 क्रेडिट का वोकेशनल/कौशल कोर्स, किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा। कुल 44 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत सर्टिफिकेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि दो वर्ष (04 सेमेस्टर) के पश्चात छोड़ना चाहता है तो उस स्थिति में उसे चारों सेमेस्टर के कुल 80 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 04 और क्रेडिट का वोकेशनल/कौशल कोर्स, किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा। तदनुसार कुल 84 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाएगी।

प्रश्न 9. क्या विद्यार्थी के द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के एक एक विषय के DSC का चयन किया जा सकता है?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्तर्गत संचालित मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली के प्रावधानानुसार विद्यार्थी किसी एक संकाय के ही तीन विषय/डिसिप्लिन का चयन कर सकता है। अलग-अलग संकाय से विषय/डिसिप्लिन का चयन करने का प्रावधान नहीं है। अपितु अन्य संकाय से विषय/डिसिप्लिन का चयन GE के रूप में किया जाना है।

प्रश्न 10. क्या विद्यार्थी GE (Generic Elective) में अपनी इच्छानुसार कोई भी विषय का चयन कर सकता है?

उत्तर. वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी अन्य संकाय का उसी विषय मात्र का GE चयन कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में संचालित है।



प्रश्न.11. क्या कोई विद्यार्थी अन्य महाविद्यालय में संचालित विषय/विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है?

उत्तर. वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी केवल उसी विषय/विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गये महाविद्यालय में उपलब्ध है।

प्रश्न 12. SWAYAM एवं MOOC क्या हैं?

उत्तर. SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) भारत सरकार का पोर्टल है जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करनेवाला एक निःशुल्क मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। MOOC (Massive Open Online Course) एक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य वेब के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है।

प्रश्न 13. क्या पूर्व की तरह सम्पूर्ण अंक वार्षिक परीक्षा पर ही आधारित हैं?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन पर 30 प्रतिशत अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा पर 70 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थियों को आंतरिक परीक्षा एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा दोनों के अंकों को मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रश्न 14. क्या अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है?

उत्तर. सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंत सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे। अतः सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

प्रश्न 15. सतत आंतरिक मूल्यांकन में कितने आंतरिक परीक्षाएं होंगी और क्या सभी का अंक सेमेस्टर परीक्षा के अंक के साथ जुड़ेगा?

उत्तर. वर्तमान में प्रयुक्त प्रावधानानुसार प्रति सेमेस्टर प्रति कोर्स के सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अन्तर्गत दो टेस्ट/क्विज परीक्षा एवं एक एसाईनमेंट होगी। दो टेस्ट/क्विज परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंक तथा एसाईनमेंट में प्राप्त अंक का योग सेमेस्टर परीक्षा के अंको के साथ जोड़ा जाएगा।

उदाहरणार्थ 100 अंक का कोर्स में 30 अंक सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) के लिए निर्धारित है, जहाँ 20-20 अंक का दो टेस्ट/क्विज परीक्षा होगी तथा 10 अंक का एसाईनमेंट दिया जायेगा। यदि प्रथम टेस्ट/क्विज परीक्षा में 12 अंक, द्वितीय टेस्ट/क्विज परीक्षा में 17 अंक तथा एसाईनमेंट में 08 अंक प्राप्त होता है तो  $17+08 = 25$  अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा।

प्रश्न.16. क्या विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर. विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है परंतु उसे सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) में सम्मिलित होना तथा अंत सेमेस्टर



परीक्षा में परीक्षा फॉर्म जमा कर अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। कतिपय कारणवश विद्यार्थी अंत सेमेस्टर परीक्षा में अंशतः या पूर्णतः उपस्थित नहीं होता है अथवा पूर्णतः उपस्थित होकर अंशतः या पूर्णतः क्रेडिट अर्जित करता है तो भी वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

प्रश्न. 17. क्या विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर. नहीं, विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट का 50% क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है। अर्थात् तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट 40 में से न्यूनतम 20 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है।

प्रश्न.18. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सत्र 2024–25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी लागू होगी?

उत्तर. सत्र 2024–25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। आगामी सत्रों से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की जायेगी।

प्रश्न.19. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधान स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का आंशिक रूपांतरित प्रारूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर लागू होंगे। स्वाध्यायी विद्यार्थी पूर्ववत् स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेगे परन्तु आरम्भ में ही पंजीयन/नामांकन कराना होगा तथा निर्धारित अवधि अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय में, जिसमें वह पंजीबद्ध हुआ है, निर्धारित योजना अनुरूप सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) में सम्मिलित होना होगा।

प्रश्न. 20. क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा ?

उत्तर. उल्लेखित है कि विगत सत्र तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन भरा जाता रहा है। वर्तमान प्रावधानानुसार सत्रारम्भ में (माह अगस्त-सितम्बर) स्वाध्यायी विद्यार्थियों को स्वेच्छिक महाविद्यालय द्वारा पंजीयन/नामांकन कार्य पूर्ण करना होगा। पूनः विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचनानुसार परीक्षा आवेदन पूर्ववत् भरा जायेगा।

प्रश्न. 21. क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों का भी सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) होगा ?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के पालनार्थ स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसका स्वरूप/कार्य योजना विश्वविद्यालय के दिशा -निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय द्वारा सूचित किया जायेगा।